भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 332
बुधवार, 22 जुलाई, 2026 (31 आषाढ़ 1948 (शक)) को उत्तरार्थ

बहुराज्य सहकारी समितियों में प्रशासन

332# **श्रीमती संगीता यादवः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र में कुछ सीमित लोगों के वर्चस्व को समाप्त अथवा कम करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या बहुराज्य सहकारी समितियों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, सहकारी बैंकों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के समान कोई प्रावधान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्रालय
(श्री अमित शाह)

(क) मौजूदा कानून के अनुसमर्थन द्वारा और सतानवेवां संविधान संशोधन के उपबंधों को अंतर्विष्ट करके बहुराज्य सहकारी समितियों (बैंकों सहित) में अन्य बातों के साथ-साथ शासन सशक्तीकरण, पारदर्शिता में वृद्धि, जवाबदेही में बढ़ोतरी और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार, इत्यादि हेतु बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम और नियम, 2023 को क्रमश: दिनांक 03.08.2023 और दिनांक 04.08.2023 को अधिसूचित किया गया है । बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 में अन्य बातों के साथ-साथ, सहकारी क्षेत्र में सीमित व्यक्तियों के प्रभुत्व को खत्म करने या कम करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किया गया है:

i. बहुराज्य सहकारी समितियों में समयबद्ध, नियमित और पारदर्शी निर्वाचन कराने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का उपबंध शामिल किया गया है ।

ii. शासन और पारदर्शिता में सुधार हेतु बहुराज्य सहकारी समितियों की वार्षिक रिपोर्ट में बोर्ड के ऐसे निर्णयों को शामिल करना जो सर्वसम्मति से न लिए गए हों ।

iii. बहुराज्य सहकारी समितियों में परिवारवाद और पक्षपात की रोकथाम के लिए किसी बहुराज्य सहकारी समिति का निदेशक उन विचार-विमर्शों में उपस्थित नहीं होगा या उन मामलों में मतदान नहीं करेगा जहां वह स्वयं या उसके परिजन हितबद्ध पक्ष हों ।

iv. केवल कुछ ही सदस्यों द्वारा समिति के संसाधनों का लाभ लेने से रोकने के लिए, सहायक संस्थान के रूप में उन संस्थानों पर विचार नहीं किया जाएगा जिनमें बहुराज्य सहकारी समितियों के सदस्यों या उनके परिजनों द्वारा अधिसंख्य इक्विटी शेयर धारित किए गए हैं ।

v. बहुराज्य सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक निर्णयन को बढ़ावा देने के लिए, बोर्ड की बैठकों के लिए गणपूर्ति को विनिर्दिष्ट किया गया है ।

vi. बहुराज्य सहकारी समितियों के सामुहिक हितों के विरुद्ध सदस्यों को कार्य करने से हतोत्साहित करने के लिए, बहुराज्य सहकारी समिति के किसी निष्कासित सदस्य की निष्कासन अवधि को 1 वर्ष से बढ़ा कर 3 वर्ष कर दिया गया है ।

vii. सदस्यों की शिकायतों के निवारण हेतु एक तंत्र प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा सहकारी ऑम्बड्समैन की नियुक्ति ।

(ख) और (ग): जी हां, मान्यवर । बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 51 में उप-धारा (1क) शामिल किया है, जिसमें बहुराज्य सहकारी समितियों के मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति और उसके बने रहने के लिए पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं । उक्त उपबंध के अधीन कोई भी बहुराज्य सहकारी समिति किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त या नौकरी में बनाए नहीं रखेगी जो:

i. इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो: परन्तु सत्तर वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को बोर्ड के तीन-चौथाई सदस्यों द्वारा पारित विशेष संकल्प द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा, जिस स्थिति में ऐसे प्रस्ताव के लिए नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के औचित्य को इंगित करेगा;

ii. एक अनुन्मोचित दिवालिया है या किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया है;

iii. किसी भी समय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है और छह महीने से अधिक की अवधि के लिए सजा सुनाई गई है; या

iv. बहुराज्य क्रेडिट समितियों के मामले में केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा यथानिर्धारित "फिट और प्रॉपर" के मानदंडों को पूरा नहीं करता है; या गैर-क्रेडिट बहुराज्य समितियों के मामले में उन मानदंडों को पूरा नहीं करता है जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा शैक्षिक अर्हरता और प्रासंगिक अनुभव के संदर्भ में यथा निर्धारित किया गया हो ।

इसके अलावा, उपर्युक्त उपबंध के अनुसरण में:

i. बहुराज्य क्रेडिट सहकारी समितियों के लिए केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय ने दिनांक 19.01.2024 को एक आदेश जारी किया है जिसमें मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति के लिए 'फिट और प्रॉपर' मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं; और

ii. गैर-ऋण बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति हेतु शैक्षिक अर्हरता और प्रासंगिक अनुभव से संबंधित पात्रता मानदंड विनिर्दिष्ट करते हुए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 में नियम 37ख को जोड़ा गया है ।
